



2026:AHC:124838

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15991/2026

मोहम्मद कैफ

----- आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----- विपक्षी (गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : सुशील कुमार शुक्ला

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : आदेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता, जितेंद्र बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शुक्ला, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र बहादुर सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या, 84/2023, अंतर्गत धारा धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भा०द०स०, पुलिस स्टेशन हस्तिनापुर, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हालांकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक पर गोली चलाने के लिए सभी आवेदकों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं, लेकिन प्रथम सूचना देने वाला प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसके बाद, 9 अप्रैल 2023 को दो प्रत्यक्षदर्शी, सचिन और कपिल की गवाही ली गई और उन्होंने मृतक पर गोली चलाने में सह-आरोपी अनस और साने अजीम उर्फ शाह नजीम की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई। आवेदक की भूमिका यह है कि वह भी इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचा और मुख्य आरोपी अनस और साने अजीम उर्फ शाह नजीम को मृतक को न बखशने और उसे जान से मारने के लिए उकसाया। इसके बाद, सचिन और कपिल के दूसरे बयान 02.05.2023 को दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने आवेदक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए, हालांकि, उनके बयानों में देरी और विरोधाभास का कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक द्वारा बताए जाने पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि आवेदक ने संलग्न शपथपत्र में एक मामले के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। आवेदक 16.04.2023 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि सह-आरोपी अकरम की जमानत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36421/2023 में दिनांक 16.12.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी आनलाईन 3038) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले और माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी आनलाईन इला. 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक मोहम्मद कैफ को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
 9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।
 10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
 11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
 12. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने संबंधी नीतिगत रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को मेरठ जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-कारा पोर्टल पर तथा निचली अदालत को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजी जाए। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट आवेदन (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685 में दिए गए निर्णय और पीला पहन/पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट आवेदन (आपराधिक) संख्या 169/2025, दिनांक 29.05.2026 के आदेश के अनुपालन में दिया गया है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026,